

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 24/2023 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)

एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली प्रेस, बिल्डिंग नं. ई-3, द्वितीय तल, झण्डेवाला
एस्टेट, रानी झांसी रोड, दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रमेश चंद मीना,
पता:- 16 वार्ड नं. 12, कोकावास, सांगानेर बाजार, सांगानेर, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 373/374, वैष्णो विहार तृतीय, बी ब्लॉक, कोकावास, सांगानेर, बेनाड़ रोड,
जयपुर।
2. श्रीमती ममता मीना,
पता:- वार्ड नं. 36, कोकावास, सांगानेर बाजार, सांगानेर, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 373/374, वैष्णो विहार तृतीय, बी ब्लॉक, कोकावास, सांगानेर, बेनाड़ रोड,
जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित

1. श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था अडानी कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.07.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रमेश चंद मीणा के स्वामित्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. 373, वैष्णो विहार तृतीय, बी ब्लॉक, कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज एवं 2. प्लॉट नं. 374, वैष्णो विहार तृतीय, बी ब्लॉक, कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 20,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात् दिनांक 30.06.2022 को अडानी कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को जरिये असाइनमेन्ट एग्रीमेन्ट ऋणी का खाता स्थानान्तरित किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्र
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,50,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 22,62,974.45/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.12.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री रमेश चंद मीणा के स्वामित्व की संपत्ति 1. प्लॉट नं. 373, वैष्णो विहार तृतीय, बी ब्लॉक, कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज एवं 2. प्लॉट नं. 374, वैष्णो विहार तृतीय, बी ब्लॉक, कोकावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।
- आदेश आज दिनांक 10.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर